न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **250/12 (वाद)**

GCMS No. : 2012/00309

1. श्री भानुप्रताप पिता भगवतसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता कुसुम कुंवर पत्नी भगवतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. सुश्री रवीना कुंवर पिता भगवतसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता कुसुम कुंवर पत्नी भगवतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
3. सुश्री डिम्पल कुंवर पिता भगवतसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता कुसुम कुंवर पत्नी भगवतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री भगवतसिंह पिता जोरावरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्री करणसिंह पिता जीवनसिंह चुण्डावत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
3. मु. सुन्दर कुंवर बेवा रूपसिंह चुण्डावत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
4. सुश्री ज्योति पिता रूपसिंह चुण्डावत नाबालिग बविलायत माता सुन्दरकुंवर बेवा रूपसिंह चुण्डावत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
5. श्री हिम्मतसिंह पिता जोरावरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
6. श्री प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
7. श्रीमती दुर्गा कुंवर पिता मनोहरसिंह पत्नी जगन्नाथ सिंह राजपूत निवासी खेमपुरा तह. गिर्वा।
8. श्रीमती सुगना कुंवर पिता मनोहरसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपूत निवासी मजावडा तह. वल्लभनगर।
9. मु. दरियावकुंवर बेवा मनोहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
10. श्रीमती इन्द्राकुंवर पिता लक्ष्मणसिंह पत्नी मोतीसिंह राजपूत निवासी वरडा तह. गिर्वा।
11. श्रीमती वक्तावर कुंवर पिता लक्ष्मणसिंह पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी घासाखेडी तह. मावली।
12. मु. कमला कुंवर लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां हाल घासाखेडी तह. मावली।
13. मु. दीपमाला कुंवर बेवा भंवरसिंह राजपूत निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
14. श्री धर्मसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
15. मु. सुरजकुंवर बेवा शंभुसिंह राजपूत निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
16. श्री नाहरसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
17. श्री गोविन्दसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार मावली, जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री विजय आर्य, अधिवक्ता।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक 13.08.2021

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 670, 986, 987, 1059, 1060, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1910/1064 किता 13 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा। उक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1, प्रतिवादी नम्बर 5 से 15 की मौरूसी जायदाद होकर संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/6 हिस्सा जोरावरसिंह की मृत्यु बाद दर्ज हुआ है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 व वादीगण का हित निहित है व प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 का बराबर हक व हिस्सा है यानि उक्त आराजीयात में वादी नम्बर 1 का 1/24 वां हिस्सा, वादीयां नम्बर 2 का 1/24 वां हिस्सा, वादी नम्बर 3 का 1/24 वां हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/24 वां हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से के अलावा अन्य हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 से 17 तक का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार है, व इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1, 5 से 17 काबिज चले आ रहे हैं।
2. यह कि उक्त आराजीयात का वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 1 व अन्य सहखातेदारान के मध्य अभी तक मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा नहीं हुआ हैं। यह कि बिना बंटवाडा के किसी भी सहखातेदार को उक्त आराजीयात व उसके भाग विशेष को विक्रय, हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं।
3. यह कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज चला आया है जिसमें वादीगण का भी हित निहित है लेकिन श्री करणसिंह, रूपसिंह पिता जीवनसिंह राजपूत ने उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/6 हिस्सा बताते हुए 1/6 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 से तारीख 7.8.2006 को अपने पक्ष में नुमाईशी बिकावनामा निष्पादित करा रजिस्ट्री करवा ली है जो बिना अधिकार के होकर शुन्य है उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 को अपने 1/24 वें हिस्से से अधिक भूमि का कोई अधिकार नहीं हैं, जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

कथित विक्रय पत्र बिना अधिकार के है व वादीगण के विरूद्व बेअसर व शुन्य हैं।

4. यह कि कथित विक्रय पत्र तारीख 07.08.2006 में प्रतिवादी नम्बर 1 प्रथम पक्षकार द्वारा करणसिंह, रूपसिंह पिता जीवनसिंह जी चुण्डावत, द्वितीय पक्षकार को 1/6 हिस्से पर कब्जा सिपूर्द करने का अंकन किया है जो भी गलत है। जब प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त आराजीयात में 1/24 वां हिस्सा ही बनता है तो 1/6 हिस्से पर कब्जा देने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1, 5 से 17 संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है व बिना बंटवाडा कब्जा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वैसे भी खरीददार करणसिंह, रूपसिंह का उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं हुआ है न कब्जा है।

5. यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 को किसी विधिक आवश्यकता अर्थात् जायज जरूरियात के लिए रूपयों की आवश्यकता नहीं थी न किसी जायज जरूरियात के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त आराजीयात को बेचने की आवश्यकता थी। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 का खर्चा उक्त आराजीयात की आय से बराबर चल रहा था व किसी राशि की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रतिवादी नम्बर 1 ने बिना किसी जायज जरूरियात के नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित किया है जो बिना अधिकार के है जो वादीगण के विरूद्व बेअसर व शुन्य हैं।

6. यह कि खरीददार करणसिंह प्रतिवादी नम्बर 2 हैं। खरीददार रूपसिंह जी की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3, 4 हैं। प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4 का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं है न कथित विक्रय पत्र से ही प्रतिवादी नम्बर 2 व रूपसिंह को कोई हक व अधिकार प्राप्त हुए हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में मक्की, जवार आदि फसले बो रखी है जो खडी हैं।

7. यह कि तारीख 15.07.2012 को प्रतिवादी नम्बर 2, 3 उक्त आराजीयात पर आये व धमकी दी कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 से खरीद ली है व हमारे खाते में दर्ज हो गयी है अतः अब हम इन आराजीयात पर कब्जा करेंगे। जिस पर वादीगण ने मना किया तो धमकी दी कि अभी कब्जा नहीं करने दोगे तो बाद में गुण्डों को लाकर जबरन कब्जा कर लेंगे। जिस पर वादीगण ने पटवारी हल्का से पता किया तो मालूम हुआ कि उक्त आराजीयात का 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 4 के नाम बिकावनामें से नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकृत हुआ हैं। इसके पूर्व वादीगण को कथित इन्द्राज व विक्रय पत्र की जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 4 जबरन कब्जा करने पर आमादा है व विक्रय करने की धमकी दे रहे है अतः ऐसी अवस्था में वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है वरना प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 4 वादीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर देंगे व जबरन कब्जा कर लेगे तथा वादीगण के फसलों को नुकसान पहूंचायेगे व अन्य को हस्तान्तरण कर देगे तो वादीगण को बडा भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

8. यह कि वाद कारण तारीख 15.07.2012 को पैदा हुआ जबकि प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 4 ने कथित विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा करने व विक्रय करने की भी धमकी दी।

9. यह कि वादीगण नाबालिग है तथा वादीगण के संरक्षक श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नी भगवतसिंह राजपूत है तथा वादीगण का पालन पोषण भी कुसुम कुंवर कर रही है तथा कुसुम कुंवर का वादीगण के हित के विपरीत कोई हित नहीं है। अतः यह वाद जरिये संरक्षक कुसुम कुंवर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

10. यह कि प्रतिवादी नम्बर 5 से 17 उक्त आराजीयात के सहखातेदार होने से व प्रतिवादी नम्बर 18 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद में अंकित आराजीयात के 1/24 हिस्से का वादी नम्बर 1 को, 1/24 हिस्से का वादी नम्बर 2 को, 1/24 हिस्से का वादी नम्बर 3 को तथा 1/24 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदार घोषित फरमाया जावे व तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावें। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 2 व रूपसिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र तारीख 07.08.2006 वादीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 व 4 के विरूद्व इस अमर की निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे वाद में अंकित आराजीयात पर अथवा इसके किसी हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे, न वादीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल ही करे, न वादीगण को उक्त आराजीयात का [illegible] संयुक्त उपयोग उपभोग करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

से रोके, न किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे तथा उक्त आराजीयात पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे, न किसी को विक्रय हस्तान्तरण ही करें। मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

11. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 11, 15, 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 12, 13, 14, 17 के विरूद्व कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रतिवादी सं. 18 औपचारिक पक्षकार होने से राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई।

12. वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री भानुप्रताप, पीडब्ल्यू 2 सुश्री डिम्पल, पीडब्ल्यू 3 सुश्री रविना का पेश किया। वादीगण द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 प्रदर्श 1, सेटलमेन्ट नकल सम्वत् 2021 प्रदर्श 2, पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यप्रति दिनांक 07.08.06 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 प्रदर्श 4, नकल नामान्तरकरण संख्या 705 नकल प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2041–44 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045–48 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049–52 प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053–56 प्रदर्श 10, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057–60 प्रदर्श 11, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 प्रदर्श 12, जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 प्रदर्श 13, नकल नामान्तरकरण संख्या 201 प्रदर्श 14, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049 प्रदर्श 15, सेटलमेन्ट नकल 2053–56 प्रदर्श 16, नकल सेटलमेन्ट जमाबन्दी खसरा सम्वत् 2022 प्रदर्श 17, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 प्रदर्श 18, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036–39 प्रदर्श 19, नकल जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त सम्वत् 1985 प्रदर्श 20, नकल खसरा सेटलमेन्ट सम्वत् 2021–22 प्रदर्श 21, नकल खसरा सेटलमेन्ट सम्वत् 2023 प्रदर्श 22, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 प्रदर्श 23 पेश किये।

13. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बहस मय नजीर DNJ (RAJ) 2002 (3) Page 1357, RRT 2011 (2) Page 7891, RRD 2009 Page 264 पेश कर वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होना बताया है जिसमें अपने हिस्से की घोषणा किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। भूमि पूर्व में वादीगण के मौरूस खुमाणसिंह जी के नाम पर दर्ज होना बताया हैं जो खुमाणसिंह जी की मृत्यु के बाद जोरावर सिंह के नाम पर एवं जोरावरसिंह की मृत्यु के बाद विरासत से वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज होना बताया हैं। उक्त भूमि में भगवतसिंह का 1/24 हिस्सा एवं शेष हम वादी सं. 1 से 3 का हिस्सा निहित हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि को करणसिंह व रूपसिंह को दिनांक 07.08.2006 को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 828 दिनांक 05.02.2007 से दर्ज हो चुका हैं। रूपसिंह की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस प्रतिवादी सं. 3 व 4 पत्रावली पर रेकार्ड पर मौजूद हैं। उक्त भूमि में पैतृक सम्पति होने से जन्म से अधिकार निहित हैं। इसलिए उक्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा किया जाने का निवेदन किया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 6 में उक्त भूमि जोरावरसिंह पिता खुमाणसिंह के नाम पर दर्ज हैं। उसके पश्चात् विरासत से प्रतिवादी सं. 1 भगवतसिंह पिता जोरावरसिंह के नाम दर्ज हुई हैं, जिसका दस्तावेज नामान्तरकरण प्रदर्श 14 हैं। सेटलमेन्ट के दौरान दस्तावेजो में प्रतिवादी सं. 1 व उसके पिता जोरावरसिंह का नाम चला आ रहा हैं। जिससे उक्त भूमि पैतृक सम्पति होना जाहिर आता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2006 प्रदर्श 3 से प्रतिवादी सं. 2 व 3, 4 के मौरूस रूपसिंह को विक्रय की हैं। चूंकि वर्तमान में उक्त भूमि भगवतसिंह के नाम पर नहीं होकर क्रेता के नाम पर दर्ज हैं।

15. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 2 से 3 सद्‌भावी क्रेता होकर पूर्णप्रतिफल अदा कर भूमि को क्रय किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 भगवत सिंह द्वारा दिनांक 07.08.06 को भूमि विक्रय की उसके लगभग 6 वर्ष पश्चात् वादीगणों ने वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होकर उसका नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका हैं। भूमि वर्तमान में प्रतिवादी के नाम पर दर्ज हैं।

16. वादिया द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि उक्त विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विक्रय पत्र को शून्य घोषित करना चाहा गया है तथा अन्य अनुतोष खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार घोषित होना तथा स्थाई निषेधाज्ञा पाना मुख्य अनुतोष पर निर्भर करते है। विधि का यह सिद्धांत है कि विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही शून्य होने पर घोषणात्मक वाद राजस्व न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है, तथा यदि विक्रय विलेख शून्यकरणीय हो, वह दीवानी अदालत द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। (जगदीश बनाम मु. मनभर 1978 आर.आर.डी. 44, कालू बनाम गुमान 1984 आर.आर.डी.829) न्यायालय के समक्ष यह मुख्य बिंदु है कि वादिया के पिता द्वारा निष्पादित उक्त विक्रय विलेख शून्यकरणीय है अथवा प्रारम्भ से ही शून्य है ?

17- राजस्व मंडल द्वारा श्री रोड़ा बनाम श्री जेता 1984 आर.आर.डी.78 में यह निर्धारित किया गया है कि हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता द्वारा किया गया विक्रय अभिलेख शून्यकरणीय है न की शून्य। राजस्व मंडल ने अपने उक्त निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब तक सक्षम न्यायलय द्वारा हस्तांतरण निरस्त नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। (श्री रोड़ा बनाम श्री जेता 1984 आर आर डी 78) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रघुबंचामणि बनाम अम्बिका प्रसाद (AIR 1971 SC 776) में यह स्थापित किया है कि सयुंक्त हिन्दू परिवार में कर्ता द्वारा किया गया किया गया विक्रय शून्यकरणीय है न की शून्य। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा भी विभिन्न आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि विक्रय विलेख निरस्त करने का अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। भोपाल सिंह और अन्य बनाम भगवत सिंह (AIR 1979 Raj 173, 1979 WLN 24) में पिता द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था तथा यह आरोप था की उक्त ट्रांसफर बिना किसी कानूनी आवश्कयता के था। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा यह निर्णय दिया गया कि **"**In view of the decision in Raghubanchamani's case AIR 1971 SC 776] the sale-deed made by the

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: Self Attested

plaintiff's father, who is defendant No. **5**, in favour of the defendants Nos. **1** and **4** (petitioners) is voidable as according to the plaintiff it was without legal necessity and under Section **31**(**1**) of the Specific Relief Act, when the plaintiff has reasonable apprehension that the sale-deed if left outstanding, may cause him serious injury, it became necessary for him to have it adjudged, void or voidable. The cancellation of the sale-deed, being the main relief in the suit, can only be granted by a Civil Court." **"**It, therefore, follows that the main relief which the plaintiff has asked for in the suit is of cancellation of the sale-deed executed by his father on August **18**, **1965** and the incidental relief regarding restoration of possession will follow as a consequence to the finding of the Civil Court relating to the relief of the cancellation of the sale-deed."

18- इसी प्रकार हस्ती सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम संदीप चरण और अन्य (Civil Revision No. **137/2015**) में विपक्षी संख्या **1** द्वारा अपने पिता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को अपास्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया था तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था की ऐसा विक्रय विलेख अपास्त करने का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया कि **"**In view of the above, the law laid down in the case of Bhopal Singh (supra) holding the instrument of the present nature as voidable, suit apparently is maintainable before the civil court."

19. अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है की उक्त वाद में वादिया के पिता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्यकरणीय है न की प्रारम्भ से शून्य। उक्त विक्रय विलेख सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है तथा वादिया द्वारा चाहे गए अन्य अनुतोष भी सिविल न्यायालय के निर्णय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

परिणाम स्वरुप ही हो सकेंगे। वादिया द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मंडल के निर्णयों के परिपेक्ष में वादिया का वाद इन निर्देशों के साथ खारिज किया जाता है कि वादिया उक्त विक्रय विलेख को अपास्त करवाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। वादीगण अपने दस्तावेजों के माध्यम से वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मयंक मनीष, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भानुप्रताप पिता भगवतसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता कुसुम कुंवर पत्नी भगवतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. सुश्री रवीना कुंवर पिता भगवतसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता कुसुम कुंवर पत्नी भगवतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
3. सुश्री डिम्पल कुंवर पिता भगवतसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता कुसुम कुंवर पत्नी भगवतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भगवतसिंह पिता जोरावरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्री करणसिंह पिता जीवनसिंह चुण्डावत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
3. मु. सुन्दर कुंवर बेवा रूपसिंह चुण्डावत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
4. सुश्री ज्योति पिता रूपसिंह चुण्डावत नाबालिग बविलायत माता सुन्दरकुंवर बेवा रूपसिंह चुण्डावत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
5. श्री हिम्मतसिंह पिता जोरावरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
6. श्री प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
7. श्रीमती दुर्गा कुंवर पिता मनोहरसिंह पत्नी जगन्नाथ सिंह राजपूत निवासी खेमपुरा तह. गिर्वा।
8. श्रीमती सुगना कुंवर पिता मनोहरसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपूत निवासी मजावडा तह. वल्लभनगर।
9. मु. दरियावकुंवर बेवा मनोहरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
10. श्रीमती इन्द्राकुंवर पिता लक्ष्मणसिंह पत्नी मोतीसिंह राजपूत निवासी वरडा तह. गिर्वा।
11. श्रीमती वक्तावर कुंवर पिता लक्ष्मणसिंह पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी घासाखेडी तह. मावली।
12. मु. कमला कुंवर लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां हाल घासाखेडी तह. मावली।
13. मु. दीपमाला कुंवर बेवा भंवरसिंह राजपूत निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
14. श्री धर्मसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
15. मु. सुरजकुंवर बेवा शंभुसिंह राजपूत निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
16. श्री नाहरसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
17. श्री गोविन्दसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तह. मावली।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार [illegible] जिला उदयपुर।

..............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 250/12 (वाद) GCMS No. – 2012/00309

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.08.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.29 17:42:16 IST
Reason: SelfAttested